भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 35

दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

भीषण विकट कुपोषण

35. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में अफ्रीका के दक्षिणी सहारा क्षेत्र में रहने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या से दोगुना संख्या में बच्चे भारत में पाए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आबादी की पोषण आवश्यकताओं की अनुपूर्ति करने के लिए खाद्य को पोषणयुक्त बनाना सर्वाधिक कारगर उपायों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफ्रीका में भीषण विकट कुपोषण (एसएएम) से ग्रस्त रोगियों का उपचार करने के पैकेज्ड पोषणयुक्त भोजन के अत्यन्त उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं लेकिन भारत में किए गए परीक्षणों में ये कहीं कम कारगर पाए गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषज्ञों की ओर से चिंता व्यक्त करते हुए माताओं के लिए परिचर्या और सहायता, स्वच्छ पेयजल और खाद्य सुरक्षा की बजाय वाणिज्यिक उत्पादों की खरीद करने के तुरन्त लाभकारी होने का दावा करने वाले समाधानों के विरुद्ध चेताया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए कुपोषण और संरक्षात्मक तरीकों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : यूनीसेफ की "विश्व के बच्चों की स्थिति, 2016" नामक रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में 5 साल से कम आयु के 19% बच्चे अल्पवज़नी थे तथा 2015-16 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4 के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 35.7% बच्चे अल्पवज़नी हैं ।

(ख) : कुपोषण की समस्या के निदान के लिए खाद्य प्रबलीकरण एक पूरक रणनीति है, न कि संतुलित, विविध आहार का प्रतिस्थापन है ।

(ग) : इस मंत्रालय को ऐसे ही किसी ट्रायल की जानकारी नहीं है । तथापि, भारत में गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों का उपचार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्रों में किया जाता है ।

(घ) : सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है तथा कुपोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के निराकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । यह मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपाय के रूप में अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीम तथा प्रधान मंत्री मातृ वंदना जैसी स्कीमें चला रहा है । कुपोषण का उपचार करने के लिए माताओं के लिए देखरेख तथा सहायता, स्वच्छ पेयजल तथा खाद्य सुरक्षा कुछ घटक हैं ।

(ड.) : सरकार ने 9046 करोड़ रूपये के समग्र बजट के 2017-18 में शुरू करते हुए तीन वर्ष की समय सीमा के लिए दिनांक 18-12-2017 को पोषण अभियान की शुरूआत की है। समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए सभी 36 राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रऋों तथा जिलों को शामिल किया गया है। पोषणअभियान का लक्ष्य तीन वर्षों के दौरान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर नीचे दिए लक्ष्यों के साथ 0 से 6 वर्ष तक के बचचों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1.	बच्चों (0 से 6 वर्ष तक के) में ठिगनेपन को निवारित करना और कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 6 प्रतिशत तक
2.	बच्चों (0 से 6 वर्ष तक) में अल्प-पोषण (कम भार का होना) को निवारित करना और कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 6 प्रतिशत तक
3.	छोटे बच्चों (6 से 59 माह) के रक्ताल्पता की मौजूदगी को कम करना	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 9 प्रतिशत तक
4.	15-49 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं तथा किशोरियों में रक्ताल्पता की मौजूदगी को कम करना	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर 9 प्रतिशत तक
5.	जन्म के समय होने वाले कम भार को कम करना	2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 6 प्रतिशत तक

इस अभियन का लक्ष्य, एक जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से, एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाकर चरणबद्ध आधार पर देश में कुपोषण को कम करना है । अभियान समय पर सेवा वितरण और एक मजबूत निगरानी के साथ-साथ हस्तक्षेप बुनियादी ढांचे के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा । लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन को 38.4% से 25% तक कम करना है । इस अभियान के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना; सेवा वितरण और हस्तक्षेपों को

मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सामान्य अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर; जन आन्दोलन निमित सामुदायिक मोबिलाइजेशन और जागरूकता की एडवोकेसी - पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करना; अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना आदि है ।

आंगनवाड़ी सेवाएं, जिसका उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना, मृत्युदर, रूग्णता दर और कुपोषण की घटनाओं को कम करना है । इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के एक नैटवर्क के माध्यम से छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूलपूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाएं शामिल हैं ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जोकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित सशर्त मातृत्व लाभ योजना है । इस योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति को पूरा करने के अधीन रहते हुए उनकी वेतन हानि के लिए आंशिक रूप से मुआवजा देते हुए नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), विशेष नवजात देखरेख यूनिट (एसएनसीयू), नवजात स्थायीकरण यूनिट (एनएसबीयू), कंगारू मातृदेखरेख (केएमसी) यूनिट, व्यापक स्तनपान प्रबंधन केन्द्र, गृह आधारित नवजात देखरेख, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, एमएए कार्यक्रम, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम आदि का कार्यान्वयन कर रहा है ।

इस मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं पोषण बोर्ड अपनी क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से पोषण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री का प्रयोग करके स्वस्थ संतुलित आहार के महत्व पर पोषण शिक्षा कार्यक्रमों, जनजागरुकता अभियानों तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रयोग के माध्यम से जागरुकता सृजित करता है ।

पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, मातृ परम स्नेह(मां) आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी व्यवहार परिवर्तन संचार तथा पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है ।

*****